UPSR010007742020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांगविद पाक्सो एक्ट), श्रावस्ती,स्थान-भिनगा ।

पीठासीन अधिकारी– परमेश्वर प्रसाद , **एच०जे०एस०–UP**06363

सेशन केस नम्बर 291/2021

अलीमुन बनाम कौसर अली आदि

अपराध संख्या–186/2020
धारा–376,506 भा0द0स0 व धारा–3/4 पाक्सो एक्ट
थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 07.01.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी।

प्रस्तुत प्रकरण में कार्यवाही परिवादिनी द्वारा अन्तिम आख्या के विरूद्ध दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर प्रारम्भ हुयी। जिसके अनुक्रम में परिवादिनी की ओर से प्राथमिक साक्ष्य के अधीन पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0स0 तथा पी0डब्लू01 परिवादिनी अलीमुननिशा व पी0डब्लू02 जुनेद अली का बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0स0 कराया गया है।

संक्षेप में घटना का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिनी ग्राम महोली, दा0 बनकटवा महोली, थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती की निवासिनी है। प्रार्थिनी का मायका बदला में दिलदार के यहां था। दिलदार की मृत्यु हो गयी जिसे देखने के लिये व मिट्टी देने के लिये दिनांक 10.12.2019 को सुबह प्रार्थिनी व उसके पति फरीद अली अपने दो छोटे पुत्रों मो0 सईद व मो0 शाद को साथ लेकर तथा अपनी पुत्री जैनब उम्र करीब 16 साल को घर पर छोड़कर ग्राम

Digitally signed by Parmeshwar Prasad
Date: 2022.01.07 14:58:09 IST
Reason: ADJ(Rape Along with Pocso Act)
Location: District and Sessions Court,Svi

बदला चले आये थे। उसी दिन समय करीब एक बजे दिन में प्रार्थिनी की जेठानी अमीरूल पत्नी स्व0 कुतुबुद्दीन व कौसर अली पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम बरगदिहा थाना को0 नानपारा जिला बहराइच प्रार्थिनी के घर पर आये। प्रार्थिनी की पुत्री जैनब को घर पर अकेला देखकर अमीरूल ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता हैं तो उसने कहा कि वे ग्राम बदला मिट्टी देने गये है। तभी उक्त दोनो लोगों ने आपस में धीरे से कुछ बात किया और अमीरूल ने जैनब से कहा कि हमें शौच जाना है और इतना कहकर अमीरूल शौचालय में चली गयी। प्रार्थिनी की पुत्री जैनब को अकेला पाकर कौसर अली ने अपने स्वेटर से चाकू निकालकर जैनब के पेट में लगाकर कहा कि यदि शोर करोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। प्रार्थिनी की लड़की जैनब काफी भयभीत हो गयी तब विपक्षी कौसर अली ने उसके साथ बगैर उसकी इच्छा के जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके बाद जैनब को धमकी दिया कि यदि घटना के बारे में किसी से बताया तो जान से मार डालेंगे। इसके बाद दोनों लोग मोटर सायकिल से चले गये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पीड़िता ने अपने धारा 200 द0प्र0स0 के बयान में कहा है कि घटना दिसम्बर माह 2018 की है। मुझे इस समय तारीख याद नहीं है। दोपहर के समय अलीमुन, जैमुन व कौशर मेरे घर आये। एक रात मेरे घर पर रूके। जाते समय मेहमानी के बहाने मुझे अपने साथ ले गये। वहां ले जाकर कौशर अली के साथ मेरी शादी कर दिये। ये लोग मुझे अपने घर बरगदिहा ले गये थे। शादी के बाद 8–9 दिन मुझे अपनी पत्नी के रूप में रखा। मुझे मेरी मम्मी से बात नहीं करने देते थे। हमारी मम्मी एक दिन आयी साथ में अब्बू भी थे फिर हमें अपने साथ ले गये। मुझसे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। उसने शारीरिक सम्बन्ध मेरी इच्छा के विपरीत बनाया था। बतौर पत्नी मैंने शारीरिक सम्बन्ध बनाने की सहमति नहीं दी थी। घटना के समय मैं नाबालिग थी, मेरी उम्र 16 वर्ष थी। उपरोक्त

कथन का समर्थन परिवादिनी अलीमुननिशा व जुनेद अली ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0स0 में किया है।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित अलीमुननिशा ने अपने बयान 202 द0प्र0स0 में कहा है कि दिनांक 10.12.2019 को मेरी बेटी जैनब जो कि नाबालिग थी को घर में अकेला पाकर विपक्षी कौसर अली ने मेरी जेठानी अमीरूल के सह पर बलात्कार किया। उस दिन मैं व मेरे पति मिट्टी में गये थें फिर मेरी बेटी को बरगदिहा ले जाकर जबरन कौसर अली ने निकाह कर लिया। फिर कौसर अली ने मेरी बेटी के साथ जबरन बलात्कार करते रहे। फिर मेरी बेटी को घर से भगा दिया। मैंने घटना के सम्बन्ध में थाना नानपारा व थाना मल्हीपुर में तहरीर दिया था लेकिन विपक्षीगण के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित जुनेद अली ने अपने बयान 202 द0प्र0स0 में कहा है कि दिनांक 10.12.2019 को सुबह अलीमुन व उनके पति फरीद अली ग्राम बदला मिट्टी में चले गये थे। उनकी नाबालिग लड़की जैनब घर पर अकेली थी। कौसर अली व अमीरूल उसके घर आये। कौसर अली ने जैनब के साथ बुरा काम किया और कौसर अली ने जैनब को अपने घर ले जाकर निकाह किया फिर उसे भगा दिया।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत गवाहान ने परिवादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा है कि विपक्षी कौसर अली ने परिवादिनी की नाबालिग लड़की जैनब उम्र करीब 16 वर्ष के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। विपक्षी अमीरूल द्वारा उक्त घटना कारित करने में विपक्षी कौसर अली का सहयोग कर आपराधिक षडयंत्र कारित किया। इस प्रकार मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत विपक्षी कौसर अली के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 376,506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व विपक्षी अमीरूल के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा

120 बी का मामला बनता है। तदनुसार अभियुक्तगण कौसर अली व अमीरूल उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कौसर अली को भा0द0स0 की धारा 376,506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व अभियुक्ता अमीरूल को भा0द0स0 की धारा 120 बी के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है परिवादिनी पैरवी अन्तर सप्ताह करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 31.01.2022 को पेश हो।

दिनांक 07.01.2022

परमेश्वर प्रसाद
अपर सत्र न्यायाधीश
(रेप एलांगविद् पाक्सो एक्ट)
श्रावस्ती